मध्यप्रदेश शासन
पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग

क्रमांक 4485/बी–6/22/वि–9/आर.जी.एम./99 भोपाल, दिनांक 19.03.99

आदेश क्रमांक – 20/जलग्रहण क्षेत्र विकास

प्रति,

1.अध्यक्ष (समस्त)
जिला पंचायत, मध्यप्रदेश
2.कलेक्टर (समस्त)
मध्यप्रदेश
3.कार्यपालक निदेशक (समस्त)
जिला ग्रामीण विकास अभिकरण, मध्यप्रदेश
4.मुख्य कार्यपालन अधिकारी (समस्त)
जनपद पंचायत
5.परियोजना अधिकारी (समस्त)
मिली जलग्रहण क्षेत्रा

विषय : राजीव गांधी जलग्रहण क्षेत्रा प्रबंधन मिशन के संबंध में दिशा निर्देश।

जलग्रहण क्षेत्रा प्रबंधन कार्यक्रम के संबंध में पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग द्वारा पूर्व में आदेश क्रमांक–2 दिनांक 25–7–95, आदेश क्रमांक–4 दिनांक 8–11–95, आदेश क्रमांक–5 दिनांक 1–12–95, आदेश क्रमांक–6, दिनांक 4–3–96, आदेश क्रमांक–7 दिनांक 16–05–96, आदेश क्रमांक–8 दिनांक 3–9–96, आदेश क्रमांक–9 दिनांक 15–11–96, आदेश क्रमांक–10 दिनांक 5–12–96, आदेश क्रमांक–13 दिनांक 3–4–97, आदेश क्रमांक–14 दिनांक 30–4–97, आदेश क्रमांक–15 दिनांक 1–5–97, आदेश क्रमांक–17 दिनांक 12–5–97ए आदेश क्रमांक–18 दिनांक 30–7–97 एवं आदेश क्रमांक–19 दिनांक 19–3–98 को जारी किये गये हैं। उन आदेशों के अनुक्रम में यह आदेश जारी किया जा रहा है। इस आदेश का उद्देश्य परियोजना समाप्ति का निर्धारण करना है। इस परिपत्रा में दिये निर्देश सुझावात्मक है तथा स्थानीय परिस्थितियों एवं आवश्यकताओं के अनुसार इसमें फेर बदल संभव है। कृपया इस परिपत्रा को कार्यालय कलेक्टर, जिला पंचायत, परियोजना अधिकारी, मिलीवाटरशेड एवं जनपद पंचायत कार्यालय में व्यापक रूप से प्रसारित करें तथा इसकी एक प्रति सभी कार्यालयों की गार्ड नस्ती में रखें।

1. पृष्ठभूमि :

1 अप्रैल 1995 से पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग द्वारा मिशन प्रणाली के आधार पर राजीव गांधी जलग्रहण क्षेत्रा प्रबंधन मिशन की गतिविधियां प्रारंभ की हैं। इन गतिविधियों के लिये ई.ए.एस. एवं डी.पी.ए.पी. योजना मद से राशियां उपलब्ध कराई जाती हैं तथा जनसहभागिता के आधार पर कार्यक्रम संचालित कराया जा रहा है। कार्यक्रम के अधीन वर्ष 1995.96 में लिये क्षेत्रा में किये जा रहे उपचारों/गतिविधियों को चार वर्ष पूर्ण होने हा रहे है अतः आवश्यक है कि कार्यक्रम समापन के मानक निर्धारित किये जावें एवं निर्धारित मानकों के आधार पर समीक्षा की जावे ताकि कार्य समाप्ति होने बावत् निर्णय लिया जा सके।

2.0 उद्देश्य :

राजीव गांधी जलग्रहण क्षेत्रा प्रबंधन मिशन निम्न प्रमुख उद्देश्यों की पूर्ति के लिये संचालित किया जा रहा है :–

2.1 सूखे के प्रभाव को कम करना

2.2 कृषि उत्पादकता बढ़ाना

2.3 स्वावलंबी दलों की आय में स्थायी वृद्धि

2.4 प्राकृतिक संसाधनों के टिकाऊ प्रबंधन के लिये जनभागीदारी

3.0 आवश्यकता :

भारत शासन द्वारा वाटरशेड कार्यक्रम की अवधि चार वर्ष निर्धारित की है अतः जिन क्षेत्राों में परियोजना क्रियान्वयन को चार वर्ष पूर्ण हो चुके हैं वहां परियोजना को समाप्त घोषित करने पर निर्णय लेने की आवश्यकता है। परियोजना समाप्त घोषित करने के तीन आधार हो सकते हैं –

3.1 समयावधि पूर्ण होना

3.2 प्रावधान अनुसार राशि व्यय होना

3.3 योजना लक्ष्य प्राप्त होना

उपरोक्त वर्णित आधारों में उद्देश्य प्राप्ति सर्वाधिक तर्कसंगत एवं महत्वपूर्ण मानक है अतः मिशन लीडर द्वारा उद्देश्य पूर्ति ही कार्यक्रम समापन का आधार बनाया जाना चाहिये। इस संबंध में उल्लेखनीय है कि भारत सरकार की वाटरशेड मार्गदर्शिका के पैरा–16ए 17ए 18ए 19ए 20 एवं 2.1 में कार्यक्रम की सफलता के मानक दिये हैं। मध्यप्रदेश शासन, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग ने भी जून 1998 जलग्रहण क्षेत्रा विकास कार्यक्रमों के लिये मूल्यांकन मार्गदर्शिका का प्रकाशन किया है। यह मार्गदर्शिका उपरोक्त उद्देश्यों के हासिल होने से संबंधित मानकों को मोटे तौर पर परिभाषित करती है। संक्षेप में कार्यक्रम को समाप्त घोषित करने के लिये मानक निर्धारित करना आवश्यक है ताकि जिला स्तर पर मुख्य कार्यपालन अधिकारी एवं मिशन लीडर उपयुक्त निर्णय ले सकें।

4.0 कार्यक्रम समाप्त घोषित करने विषयक मानक :

राजीव गांधी जलग्रहण क्षेत्रा प्रबंधन मिशन के अधीन उपचारित क्षेत्राों में कार्यक्रम समाप्त धोषित करते समय पैरा–3 में वर्णित मानकों को ध्यान में रखा जावेगा। मोटे तौर पर निम्न बिन्दुओं पर कार्यक्रम की ग्रामवार समीक्षा की जावे।

4.1 सिंचाई जल की पूर्ति :

ग्राम में उपलब्ध कुल कृषि भूमि को जल आवश्यकता का निम्नानुसार आकलन एवं सिंचाई जल पूर्ति की वस्तुस्थिति प्राप्त करें–

मौसम		जल आवश्यकता	आवश्यकता की पूर्ति	उपलब्धि का प्रतिशत
खरीफ	–	.....हेक्टेयर मीटर	.....हेक्टेयर मीटर	.....
रवी	–	.....हेक्टेयर मीटर	.....हेक्टेयर मीटर	.....
ग्रीष्म	–	.....हेक्टेयर मीटर	.....हेक्टेयर मीटर	.....

इस आंकलन के आधार पर निर्मित संरचनाओं द्वारा खरीफ, रबी एवं ग्रीष्म काल में कितने कितने प्रतिशत पानी कृषि भूमि को उपलब्ध कराया जा सका, ज्ञात होगा। उपरोक्त गणनाओं को समीक्षा का आधार बनाया जावे। संरचनाओं से जल उपलब्धि निम्नानुसार होना चाहिये :–

सीजन		सिंचित भूमि का प्रतिशत		
		उत्कृष्ट	उत्तम	सामान्य
खरीफ	–	75	60	40
रबी	–	50	40	30
ग्रीष्म	–	30	20	10

उपरोक्त गणनाओं में मिशन द्वारा निर्मित जल संरक्षण संरचनाओं (सतही एवं भूजल स्त्राोतों) से हुई आपूर्ति से से सम्मिलित करना चाहिये। इस आधार पर कार्यक्रम की ग्रामवार समीक्षा की जावे।

4.2 ग्राम में उपलब्ध शासकीय भूमि से स्वावलंबी दलों में सम्मिलित कितने प्रतिशत परिवारों के लिये आयमूलक गतिविधियां ली गई। दलवार समीक्षा की जावे एवं प्रति परिवार कितनी आय स्थायी रुप से उस परिवार के लिये सुनिश्चित हुई, ज्ञात किया जावे। 80 प्रतिशत परिवारों को आय के स्थायी अवसर उपलब्ध कराने विषयक उपलब्धियों को उत्तम वर्ग में रखा जावे।

4.3 ग्राम में स्थित प्रत्येक खेत में उपचार के फलस्वरुप कृषि उत्पादकता में आय सुधार की समीक्षा की जानी चाहिये। इस समीक्षा में यदि शत प्रतिशत खेतों में कृषि उत्पादकता में इष्टतम ;व्वजपउनउद्ध सुधार पाया जाता है तो उसे उत्कृष्ठ वर्ग में रखा जावे। गांव की कम से कम 80 प्रतिशत कृषि भूमि में पैरा 4.1 एवं 4.3 के अधीन समीक्षा से सिद्ध होना चाहिये कि 80 प्रतिशत भूमि पर किसी भी स्थिति में सूखे का प्रभाव नहीं पड़ेगा।

4.4 समीक्षा के दौरान यह सुनिश्चित किया जाना आवश्यक होगा कि शासकीय भूमि पर सम्पन्न उपचार कार्यो से लाभों के वितरण की व्यवस्था निम्न आधार पर सुनिश्चित कर ली गई है :–

4.4.1 संरचना से लाभान्वित परिवारों के नाम, उनके बीच संरचना से उपजे लाभों के बटवारे का विवरण एवं लाभों के वितरण का वाटरशेड कमेटी एवं ग्राम सभा से अनुमोदन प्राप्त किया जा चुका है।

4.4.2 संरचना के रख रखाव/संचालन के संबंध में वाटरशेड कमेटी एवं समाज का दायित्वबोध उपस्थित है। वे संरचना के रख रखाव/संचालन को सफलतापूर्वक संपादित कर सकेंगे एवं इसके लिये आवश्यक ढांचा विद्यमान है।

उपरोक्त आधार पर ग्रामवार समीक्षा की जावे तथा यह सुनिश्चित किया जावे कि उस ग्राम में मिशन द्वारा निर्धारित लक्ष्य प्राप्त किये जा चुके हैं। योजना के लिये प्रावधानित राशि व्यय की जा चुकी है एवं ग्राम सभा एवं वाटरशेड कमेटी को कार्यक्रम के दायित्व को संभालने के लिये सक्षम बनाया जा चुका है एवं भविष्य में ग्राम स्तरीय ढांचे (मानव एवं संरचना) के बिखराव या टूटने की कोई संभावना नहीं है। वर्णित तथ्यों के हासिल होने के आधार पर कार्यक्रम समाप्त घोषित किया जावेगा।

5.0 कार्यक्रम समाप्त घोषित करने का अधिकार :

जिला स्तरीय वाटरशेड तकनीकी समिति की अनुशंसा पर कार्यक्रम समाप्त घोषित करने का अधिकार मिशन लीडर को होगा। मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला स्तरीय वाटरशेड सलाहकार समिति के समक्ष पैरा–4 के आधार पर प्रतिवेदन प्रस्तुत करेंगे एवं सलाहकार समिति की अनुशंसा पर मिशन लीडर के हस्ताक्षर से कार्यक्रम को समाप्त करने के आदेश जारी करावेंगे। समीक्षा परिणामों की जानकारी जिले के प्रभारी सचिव के सम्मुख उनके दौरे में प्रस्तुत की जावेगी। मिशन लीडर द्वारा ऊपर वर्णित कार्यवाही पूर्ण की जाने के उपरांत मुख्य कार्यपालन अधिकारी उक्त आशय की सूचना विकास आयुक्त, मिशन समन्वयक एवं मिशन संचालक को प्रेषित करेंगे।

6.0 कृपया उपरोक्त वर्णित अनुसार कार्यक्रम की समीक्षा करें। यदि कार्यक्रम के लक्ष्य किसी ग्राम/माइक्रोवाटरशेड में प्राप्त नहीं हुये हैं तो कार्यक्रम के अधीन वांछित शेष या नई गतिविधियों/कार्यो/उपचारों को अगले एक वर्ष में पूर्ण करावें। इस बढ़ायी अवधि (एक वर्ष) में उन समस्त शेष कार्यो को पूर्ण किया जावे जो पैरा 4ण्0 में समीक्षा के दौरान अधूरे या नहीं लिये पाये

जाते हैं। किसी भी स्थिति में योजना की प्रति हेक्टेयर लागत में परिवर्तन नहीं किया जावेगा और न ही एक मद की राशि दूसरे मद में व्यय की जावेगी। ब्याज से प्राप्त राशि मदवार प्रतिशत के आधार पर व्यय की जावेगी।

7.0 परियोजना का समाज को हस्तांतरण

कार्यक्रम समाप्ति की घोषणा के साथ साथ परियोजना अवधि में सम्पादित कार्यों का उत्तरदायित्व वाटरशेड कमेटी को मिलीवाटरशेड के परियोजना अधिकारी द्वारा सौंपा जावेगा। उत्तरदायित्व सौंपने के पूर्व प्रत्येक ग्राम में इस बाबत् कम से कम तीन सम्मेलन आयोजित किये जावेंगे। इन सम्मेलनों में वाटरशेड कमेटी एवं ग्रामवासियों को साझा भूमि पर निर्मित संरचनाओं के रख रखाव, संचालन एवं उसके लाभों के बटवारे के संबंध में लिखित जानकारी उपलब्ध कराई जावेगी। परियोजना अधिकारी द्वारा विभिन्न दलों को पृथक से उनके दायित्वों एवं अधिकारों के संबंध में लिखित में जानकारी दी जावेगी।

8.0 हस्तांतरित परियोजना के कार्यो का संचालन एवं रख रखाव

पैरा 7.0 में वर्णित सम्मेलनों के साथ साथ विकास खाते के संचालन के संबंध में वाटरशेड कमेटी एवं ग्रामीण समाज को कम से कम तीन बार आवश्यक प्रशिक्षण दिया जाना है। यह दायित्व मिलीवाटरशेड के परियोजना एवं पी.आई.ए./डब्ल्यू.डी.टी. का है। प्रशिक्षण में यह निश्चित रुप से बताया जावे कि ग्रामीण समाज विकास खाते को इस तरह उपयोग में लायेंगे कि ब्याज की राशि एवं श्रमदान द्वारा मरम्मत के सभी कार्य सम्पन्न किये जावें एवं विकास खाते की मूल राशि सुरक्षित रहे।

पृ. क्र.4486/बी–6/22/वि–9/आरजीएम/99 भोपाल
दिनांक 19.3.99

प्रतिलिपिः–

भारत शासन

1. श्री सतीश चन्द्र, संयुक्त सचिव, (आर.एच.), भारत सरकार, ग्रामीण क्षेत्रा एवं रोजगार मंत्राालय, कृषि भवन, नई दिल्ली।
2. श्रीमती सुधा पिल्लई, संयुक्त सचिव, भारत सरकार, डी.पी.ए.पी., ग्रामीण क्षेत्रा एवं रोजगार मंत्राालय, सी.जी.ओ. काम्पलेक्स, 6 वीं मंजिल, नई दिल्ली।
3. श्री जे.डी. शर्मा, डी.आई.जी. फारेस्ट, भारत सरकार, ग्रामीण क्षेत्रा एवं रोजगार मंत्राालय, पड़त भूमि विकास विभाग, जी विंग, निर्माण भवन, नई दिल्ली।

मध्यप्रदेश शासन

1. मुख्य सचिव के स्टाफ आफिसर, मध्यप्रदेश शासन, मंत्राालय वल्लभ भवन भोपाल।
2. प्रमुख सचिव, म.प्र.शासन, वन विभाग, भोपाल।
3. प्रमुख सचिव अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग भोपाल।
4. प्रमुख सचिव, म.प्र.शासन, वित्त विभाग, भोपाल।
5. कृषि उत्पादन आयुक्त, मध्यप्रदेश शासन, भोपाल।
6. प्रमुख सचिव पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग/विकास आयुक्त, भोपाल।
7. सचिव, म.प्र.शासन, ग्रामीण विकास विभाग, भोपाल।
8. सचिव, म.प्र.शासन, कृषि विभाग, भोपाल।
9. सचिव, म.प्र.शासन, पंचायत, भोपाल।
10. सचिव, म.प्र.शासन, लोक स्वास्थ्य यांत्रिाकी विभाग, भोपाल।
11. सचिव, म.प्र.शासन, जल संसाधन विभाग,भोपाल।
12. मिशन कोआर्डीनेटर, राजीव गांधी मिशन (सचिव, मुख्यमंत्राी, म.प्र.), भोपाल।
13. संचालक, राजीव गांधी शिक्षा मिशन, भोपाल।
14. संचालक, राजीव गांधी खाद्यान्न सुरक्षा मिशन, भोपाल।

15. मुख्य वन संरक्षक, संयुक्त वन प्रबंधन म.प्र.।
16. श्री संजय जोशी, प्रबंध संचालक, म.प्र.उर्जा विकास निगम, भोपाल।
17. श्री एन.बैजेन्द्र कुमार, प्रबंध संचालक, म.प्र. एग्रो इण्डस्ट्रीज कार्पोरेशन, भोपाल।
18. श्री बी.व्ही.आर.सुब्रहमण्यम, उपसंचालक, लाल बहादुर शास्त्राी राष्ट्रीय प्रशासन एकादमी, मसूरी।